

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, हाजीपुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर परिषद्, हाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत नागरिक सुविधा नद अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष राशि ₹120.25 लाख (एक करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

पटना, दिनांक- 10/1/18

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभागीय, राज्यादेश सं०- 91, दिनांक- 29.12.2014 द्वारा नगर परिषद्, हाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ- 4 में अंकित राशि ₹240.50 (दो करोड़ चालीस लाख पचास हजार रु०) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹120.25 लाख (एक करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र आवंटनादेश सं०-104 दिनांक- 29.12.2014 द्वारा आवंटित किया गया था। शेष ₹120.25 लाख (एक करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०- 259, दिनांक- 22.03.2017 एवं आवंटनादेश सं०- 260, दिनांक- 22.03.2017 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित किया गया था।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् हाजीपुर के पत्रांक- 1460, दिनांक- 27.04.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त आवंटित राशि की निकासी नहीं की जा सकी है। साथ ही उक्त अनिकासी की राशि को पुनः आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। पत्र के साथ कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर से प्राप्त अनिकासी प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है। योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), वैशाली, हाजीपुर द्वारा किया जा रहा है।

3. उक्त अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०- 91 दिनांक- 10/1/18 के आलोक में तालिका के स्तम्भ- 6 में अंकित अनिकासी की राशि कुल ₹120.25 लाख (एक करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र नागरिक सुविधा नद से वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्तम्भ- 7 के अनुरूप निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अनिकासी की राशि	वर्तमान में आवंटित कुल अनिकासी की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर परिषद् हाजीपुर	हाजीपुर नगर परिषद् के अंतर्गत कोनहारा घाट का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य।	240.50	240.50	120.25	120.25

कुल आवंटित राशि ₹120.25 लाख (एक करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र।

4. आवंटित कुल ₹120.25 लाख (एक करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, हाजीपुर होंगे, जिनके द्वारा संबंधित कोषागार से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 एवं पत्रांक- 942, दिनांक- 01.09.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी कर कार्यकारी एजेंसी जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), वैशाली, हाजीपुर को हस्तांतरित की जाएगी।

5. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम 270 के आलोक में यथा T.C फॉर्म संख्या 42 में राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/वि०(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

6. आवंटित कुल राशि ₹120.25 लाख (एक करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-लघु शीर्ष-192-नगर पालिकाओं-नगर परिषद् को सहायता-उप शीर्ष-0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, राज्य योजना स्कीम कोड-URB 5080, विषय शीर्ष- 0105.31.05- सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8

10. संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुम्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।
11. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि आवंटित की गई है।
12. उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
13. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, वैशाली/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), वैशाली, हाजीपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

08.1.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-17/2015 92 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-10.01.18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, वैशाली/मुख्य अभियंता, बुडा/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), वैशाली, हाजीपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०, प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.1.18

सरकार के विशेष सचिव।

08.1.18

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

पटना, दिनांक- 10/01/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर परिषद, हाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत नागरिक सुविधा मद अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष राशि ₹120.25 लाख (एक करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभागीय राज्यादेश सं०- 91, दिनांक- 29.12.2014 द्वारा नगर परिषद, हाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ- 4 में अंकित राशि ₹240.50 (दो करोड़ चालीस लाख पचास हजार रु०) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹120.25 लाख (एक करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र आवंटनादेश सं०-104 दिनांक- 29.12.2014 द्वारा आवंटित किया गया था। शेष ₹120.25 लाख (एक करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०- 259, दिनांक- 22.03.2017 एवं आवंटनादेश सं०- 260, दिनांक- 22.03.2017 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित किया गया था।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद हाजीपुर के पत्रांक- 1460, दिनांक- 27.04.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त आवंटित राशि की निकासी नहीं की जा सकी है। साथ ही उक्त अनिकासी की राशि को पुनः आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। पत्र के साथ कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर से प्राप्त अनिकासी प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है। योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), वैशाली, हाजीपुर द्वारा किया जा रहा है।

3. उक्त अनुरोध के आलोक में तालिका के स्तम्भ- 6 में अंकित अनिकासी की राशि कुल ₹120.25 लाख (एक करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र की स्वीकृति नागरिक सुविधा मद से वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्तम्भ- 7 के अनुरूप निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

७

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में स्वीकृत राशि	अनिकासी की राशि	वर्तमान में स्वीकृत कुल अनिकासी की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर परिषद् हाजीपुर	हाजीपुर नगर परिषद् के अंतर्गत कोनहारा घाट का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य।	240.50	240.50	120.25	120.25

कुल स्वीकृत राशि ₹120.25 लाख (एक करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

- स्वीकृत कुल ₹120.25 लाख (एक करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, हाजीपुर होंगे, जिनके द्वारा संबंधित कोषागार से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 एवं पत्रांक- 942, दिनांक- 01.09.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी कर कार्यकारी एजेंसी जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), वैशाली, हाजीपुर को हस्तांतरित की जाएगी।
- राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। चूकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम 270 के आलोक में यथा T.C फॉर्म संख्या 42 में राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/वि०(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।
- स्वीकृत कुल राशि ₹120.25 लाख (एक करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-लघु शीर्ष-192-नगर पालिकाओं-नगर परिषद् को सहायता-उप शीर्ष-0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, राज्य योजना स्कीम कोड-URB 5080, विषय शीर्ष- 0105.31.05- सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।
- राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।
11. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि आवंटित की गई है।
12. उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/ना०सु०-03-17/2015 के पृष्ठ सं०-.....65...../टि० पर दिनांक-23.11.17 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....67...../टि० पर दिनांक-30.12.17 को प्राप्त है।
14. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, वैशाली/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), वैशाली, हाजीपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(Handwritten Signature)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-17/2015 91 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-10/01/18

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, वैशाली/मुख्य अभियंता, बुडा/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), वैशाली, हाजीपुर/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, हाजीपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०, प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten Signature)

सरकार के विशेष सचिव।

(Handwritten Signature)